ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मैडी खास में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रीना कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री विपन कुमार	01.04.2022 से 27.06.2023
2.	श्री दिलावर सिंह	28.06.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के लेखाओं अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1)	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष	30.68
2)	7.1 (क)	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.29
3)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करना	0.08
4)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	6.17
5)	8.2	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	5.09
6)	8.3	निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स का अनियमित क्रय करना	2.58
7)	8.4	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.35
8)	9.1	मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	9.26
9)	9.2	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	15.60
10)	9.3	क्रय की गई सामग्री से सम्बन्धित मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	0.78
11)	9.4	तकनीकी मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान	0.38

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत	विवरण
1.	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹7000/- (मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या 32) की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या 781416 दिनांक 06/12/2017 द्वारा कर ली गई है।
2.	पैरा- 4	निर्णीत	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
3.	पैरा- 4.1 व 4.2	अनिर्णीत।	
4.	पैरा- 5	निर्णीत।	गृहकर की वसूली की पुष्टि उपरांत।
5.	पैरा-6	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पुन: प्रारूपित।
6.	पैरा-7	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
8.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
9.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-12	निर्णीत।	₹80/- की वसूली की पुष्टि उपरांत।
12.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-15	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।
15.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-17	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 24.05.2024 से 30.05.2024 तक ग्राम पंचायत मैडी खास के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	01/2023	06/2022
2023-24	03/2024	02/2024

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 486/2024 दिनांक 30/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत मैडी खास द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित नैहरियां के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 466285 दिनांक 15/06/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत मैडी खास द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 462/2024 दिनांक 24/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखाओं की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान चार रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, 15वां वित्तायोग (Online), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था |

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	4222983	3078549.8	7301532.8	4856277.8	2445255
2	2023-24	2445255	4017598.98	6462853.98	3394728.46	3068125.52

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मैडी खास के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.2024 को निम्नानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹44993** था :-

1)	दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3068125.52
2)	दिनांक 31.03.2024 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**3112633.52**
3)	दिनांक 31.03.2024 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	485.00
4)	**योग (2+3)**	**3113118.52**
5)	**अन्तर (4-1)**	**44993.00**

अंतर के कारण :- 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में दिनांक 03.06.23, 02.09.23, 05.12.23 व 02.03.24 को **₹44993** (9968+10938+11382+12705) ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31/03/24 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया था।

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है (परिशिष्ट क-1) :-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Nehrian	20009003242	563860.00
2	KCCB Nehrian	20009003989	0.00
3	HP Gramin Bank Nehri	88690100002611	613227.00
4	HDFC Amb	50100655894593	81014.00
5	HDFC Amb	50100655892611	58822.52
6	HP Gramin Bank Nehri	88691100000072	1794631.00
7	KCCB Nehrian	50074824237	1079.00
		योग	**3112633.52**
	हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)		485.00
		योग (1+2)	**3113118.52**

(ग) खाता बहियों का रख-रखाव न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार पंचायत को खाता बहियों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों में लेखांकित आय–व्यय के सम्बन्ध में नियमानुसार खाता बहियां नहीं बनाई गई थी | खाता बहियाँ नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अनुदानों और स्वयं स्त्रोत की आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सका। अतः भविष्य में उक्त नियमानुसार खाता बहियों का रख-रखाव किया जाए तथा वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 462/2024 दिनांक 24/05/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/01 दिनांक 30/05/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹30.68 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 462/2024 दिनांक 24/05/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में (स्वः स्त्रोत सहित) प्राप्त राशियों में **₹3068125.52** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है। अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 462/2024 दिनांक 24/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPMK/01 दिनांक 30/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेदार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 462/2024 दिनांक 24/05/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPMK/01 दिनांक 30/05/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.29 लाख की वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित है | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 462/2024 दिनांक 24/05/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPMK/01 दिनांक 30/05/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर **₹28550 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	54550	28550	83100	83100	00
2023-24	00	28550	28550	00	28550

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर की मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था | अतः गृहकर का मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए |

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.08 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्न परिशिष्ट ग अनुसार)** वसूली गई राशि **₹8400** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	4000
2	2023-24	4400
	योग	**8400**

अतः इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 474/2024 दिनांक 27/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200 की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति विवाह तथा 30 दिन के विलम्ब के पश्चात दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट-ग में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹200** की कम वसूली की गई थी।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	200

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 473/2024 दिनांक 27/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके, राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दी जाएगी। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली शीघ्र अति शीघ्र करके सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹6.17 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत **सलंग्न परिशिष्ट घ अनुसार** पंचायत द्वारा **₹617358** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 479/2024 दिनांक 29/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 ₹5.09 लाख की सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 6/2022 व 02/2024 में **सलंग्न परिशिष्ट ड. अनुसार ₹509187** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 480/2024 दिनांक 29/05/2024 द्वारा सचिव,

ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.3 ₹2.58 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/22 में **₹257830** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 483/2024 दिनांक 29/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	मद	वाउचर संख्या	माह	विवरण	राशि(18% GST सहित)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	27	06/22	3500 टाईल / पेवर @ 13.57/- प्रति पेवर	47495
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	28	06/22	3500 टाईल / पेवर @ 13.57/- प्रति पेवर	47495
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	32	06/22	3000 टाईल / पेवर @ 13.57/- प्रति पेवर	40710
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	33	06/22	3000 टाईल / पेवर @ 13.57/- प्रति पेवर	40710
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	47	06/22	3000 टाईल / पेवर @ 13.57/- प्रति पेवर	40710
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	48	06/22	3000 टाईल / पेवर @ 13.57/- प्रति पेवर	40710
				योग	**257830/-**

8.4 आपूर्तिकर्ता के बिलों से ₹0.35 लाख रॉयल्टी की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 06/2022 व 02/2024 के व्यय वाउचरों की जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **परिशिष्ट "च"** अनुसार **₹34718** का अनियमित भुगतान किया गया। इस

सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 484/2024 दिनांक 29/05/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटी जाएगी अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था |

अत: **₹34718** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

8.5 आपूर्तिकर्ता के बिलों से स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.06 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु जाँच दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट-छ** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹292100** (जी.एस.टी. को छोडकर) का भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम

पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹5842** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	M/S HSD Stone Crusher Chururu	रेत, बजरी इत्यादि	292100	292100	5842 (2% x 5842)
				योग	**292100**	**5842**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 485/2024 दिनांक 30/05/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹5842** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1 ₹9.26 लाख के व्यय के मूल्यांकन से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 06/2022 व 02/2024 में निम्नानुसार कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत **₹926172** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 478/2024 दिनांक 29/05/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र

संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्यों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन की जांच नहीं हो सकी। अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	खाता निर्माण रास्ता लम्बडा से आबादी कबीरपंथी	0044409 Dtd.01/06/22, 72463 Dtd. 18.06.22	Cement	52641
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	खाता रेनोवेशन अप्वर्धन पंचायत घर	0044409 Dtd.01/06/22, 20044 (01.06.22 to 20.06.22), 1011 dtd. 05.05.22, 1701 dtd. 20.05.22, 1702 dtd 20.05.22, 223 dtd 20.06.22, 103 dtd 15.06.22	सीमेंट, रेत बजरी इत्यादि	127957
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	खाता निर्माण रास्ता हैंडपंप से कबीरपंथी	0044409 Dtd.01/06/22, 72463 dtd 18.06.22	सीमेंट	15584
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/22	खाता रेनोवेशन कुआँ बाहतियां वार्ड नंबर 2	0044409 Dtd.01/06/22, 72463 dtd 18.06.22	सीमेंट	15593
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	02/24	खाता रिपेयर मुरम्मत कमरा GPS Sanoh	GSMR-4439 18.01.24, GSMR-4430 18.01.2024	Steel	73300
6	15th FC	02/24	C/O Path Link road to Shiv Mandir Charan Ganga	कैश बुक अनुसार Vr. No P/13, P/14 14.02.24, 20.02.24	मजदूरी	16962
7	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	02/24	निर्माण 10 नंबर CSC नजदीक कानूनगों भवन	20057 (01/01/24 to 29.01.24), 20094 (01/01/24 to 29.01.24), 403 dtd. 20.02.24, 400 dtd 20.02.24, 395 dtd14.02.24, 11 dtd शून्य, 7 dtd.--, 4585 dtd	मजदूरी, ईंटे इत्यादि	550835

				30.01.24, 4783 dtd15.02.24, 5063 dtd 19.02.24, 382 dtd. 30.01.24, 3 dtd. ---, 4 dtd. ---		
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	02/24	खाता रिपेयर मुरम्मत कमरा GPS Sanoh	GSMR-4439 18.01.24, GSMR-4430 18.01.2024	Steel	73300
					योग	**926172**

9.2 ₹15.60 लाख के कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 477/2024 दिनांक 28/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹1559979 के निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति, 34 नंबर फॉर्म को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**मद का नाम**	**माह**	**निर्माण कार्य का नाम**	**चयनित माह में भुगतान की गई राशि (₹)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	खाता निर्माण रास्ता आबादी कबीरपंथी से शमशान घाट	207191
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	खाता निर्माण रास्ता लम्बडा से आबादी कबीरपंथी	52641
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	खाता रेनोवेशन अप्वर्धन पंचायत घर	127957
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	खाता निर्माण रास्ता शिव मन्दिर से सनोह	28120
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	खाता निर्माण रास्ता हैंडपंप से कबीरपंथी	15584
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	खाता रेनोवेशन कुआँ बाहतियां वार्ड नंबर 2	15593

7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	निर्माण रास्ता नजदीक कुआँ से आबादी कबीरपंथी	213237
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/2022	निर्माण रास्ता कबीरपंथी से लम्बडा	258559
9	स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)	02/2024	निर्माण 10 नंबर CSC नजदीक कानूनगों भवन	550835
10	15वां वित्तायोग	02/2024	निर्माण रास्ता लिंक रोड से शिव मन्दिर चरण गंगा	16962
11	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	02/2024	खाता रिपेयर मुरम्मत कमरा GPS Sanoh	73300
			योग	**1559979**

9.3 ₹0.78 लाख के मूल बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 482/2024 दिनांक 29/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **₹78212 के निम्न विवरणानुसार** कार्यों से सम्बन्धित मूल बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री से सम्बन्धित मूल बिलों को ढूंडकर सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	माह	कार्य का नाम	आपूर्तिकर्ता का नाम	सामग्री	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्वच्छ भारत मिशन	02/24	निर्माण 10 नंबर CSC नजदीक कानूनगों भवन	विशाल ब्रिक्स सप्लाई	ईंटे	25456	मूल बिलों के स्थान पर छाया प्रतियां वाउचर फाइल में लगाई गई थी।
2	स्वच्छ भारत	02/24	निर्माण 10 नंबर CSC नजदीक कानूनगों	विशाल ब्रिक्स	ईंटे	25456	यथोपरि

	मिशन		भवन	सप्लाई			
3	स्वच्छ भारत मिशन	02/24	निर्माण 10 नंबर CSC नजदीक कानूनगों भवन	राजिंदर कुमार (Arch.)	Drawing & Estimate Charges	27300	वाउचर फाइल में बिल सलंग्न नहीं था।
					योग	**78212**	

9.4 तकनीकी मूल्यांकन के बिना ₹0.38 लाख की मजदूरी का भुगतान :-

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं प० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम एस -17 /2002 – आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22.09.2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के मूल्यांकन करने के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जाएगा। लेकिन व्यय के अवलोकन पर पाया गया कि मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत **निम्नलिखित विवरणानुसार** मस्ट्रोलों के अन्तर्गत भुगतान की गई **₹38160** की मजदूरी की माप पुस्तिका में मूल्यांकन / कार्य प्रगति की प्रविष्टियाँ दर्ज नहीं थी, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

क्रम संख्या	मद का नाम	वाउचर संख्या/ माह	मस्टर रोल संख्या	अवधि	कार्य का नाम	राशि (₹)	टिप्पणी
1	मनरेगा	शून्य 06/22	420	17.05.22 से 30.05.22	C/o Rasta Link road to abbaddi Harijana Basti W.No.1	18868	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या खाली छोड़ी गई थी।
2	मनरेगा	शून्य 06/22	421	17.05.22 से 30.05.22	Renovation of pond Sanoh	19292	मस्ट्रोलों में माप पुस्तिका संख्या खाली छोड़ी गई थी।
					योग	**38160**	

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 471/2024 दिनांक 27/05/2024 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या- GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि माप पुस्तिका में मूल्यांकन करवा दिया जाएगा। अतः माप पुस्तिका में मूल्यांकन के बिना मजदूरी का भुगतान

करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में विकास कार्यों का मूल्यांकन उपरान्त ही मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10.1 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 476/2024 दिनांक 28/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

10.2 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था | परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 481/2024 दिनांक 29/05/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/03 दिनांक 30/05/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा |

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	SBM (PFMS)	GSMR-4585, 30.01.2024	Steel	13388
2	SBM (PFMS)	4783, 15.02.24	Sand, Agg.	25680
3	SBM (PFMS)	5063, 19.02.24	Sand	28200

4	SBM (PFMS)	382, 30.01.24	Bricks	14416
5	SBM (PFMS)	395, 14.02.24	bricks	25455

11 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 463/2024 दिनांक 24/05/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPMK/02 दिनांक 30/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 462/2024 दिनांक 24/05/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPMK/01 दिनांक 30/05/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम

पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है।

23 JUL 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

3585 – 3589

पृष्ठांकन संख्या:-फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)32/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

23 JUL 2024

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट "क" पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	4222983	3078549.8	7301532.8	4856277.8	2445255
2	2023-24	2445255	4017598.98	6462853.98	3394728.46	3068125.52

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मैडी खास
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

23

ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2856059	502346	3358405	2480436	877969
2	2023-24	877969	1221594	2099563	781075.48	1318487.52

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2023-24	0	967356	967356	967356	0

15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1366924	1264136	2631060	1063774	1567286
2	2023-24	1567286	342605	1909891	160253	1749638

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	1312067.8	1312067.8	1312067.8	0
2	2023-24	0	1486043.98	1486043.98	1486043.98	0

Ex 24

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मैडी खास
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

1)	दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(1) का अंतशेष	3068125.52
2)	दिनांक 31.03.23 को बैंक का अन्तशेष	**3112633.52**
3)	दिनांक 31.03.23 को हस्तगत राशि	485.00
4)	**योग (2+3)**	**3113118.52**
5)	**अन्तर (4-1)**	**44993.00**

अंतर के कारण :- दिनांक 03.06.23, 02.09.23, 05.12.23 व 02.03.24 को ₹9968, ₹10938, ₹11382, ₹12705 कुल ₹44993/- ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31/03/24 तक 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया।

25

(परिशिष्ट क-1)

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB Nehrian	20009003242	563860.00
	KCCB Nehrian	20009003989	0.00
	HP Gramin Bank Nehri	88690100002611	613227.00
	HDFC Amb	50100655894593	81014.00
	HDFC Amb	50100655892611	58822.52
	HP Gramin Bank Nehri	88691100000072	1794631.00
	KCCB Nehrian	50074824237	1079.00
		योग	**3112633.52**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)**	485.00
		योग (1+2)	**3113118.52**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत नैहरी खास
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

26

परिशिष्ट ख पैरा संख्या 7.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खण्ड अम्ब, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक **01.04.2022** से **31.03.2024** तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	54550	28550	83100	83100	00
2022-23	00	28550	28550	00	28550

परिशिष्ट ग   पैरा संख्या 7.2 व 7.3 में

कार्यालय ग्राम पंचायत मैडी खास

विकास खंड अम्ब जिला ऊना (हि०प्र०)

अंकेक्षण अवधि से तक पचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क विवरण

क्रमांक	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशी	वसूल की गयी राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	मनीष कुमार	24-04-2022	04-05-2022	145235	200	200	0
2	रवनीश कुमार	21-04-2022	05-05-2022	145236	200	200	0
3	राहुल ठाकुर	19-04-2022	06-5-2022	145237	200	200	0
4	अमित कुमार	06-06-2022	24-06-2022	145238	200	200	0
5	सौरभ कुमार	10-06-2022	24-06-2022	145239	200	200	0
6	रजत पाल	04-07-2022	03-08-2022	145242	400	200	0
7	विनोद कुमार	21-07-2022	27-08-2022	145244	400	200	200
8	परमजीत सिंह	09-08-2022	31-08-2022	145245	200	400	0
9	सुशील कुमार	06-03-2022	11-10-2022	145250	400	200	0
10	बलवीर कुमार	25-10-2021	28-10-2022	145254	400	400	0
11	जौनी कुमार	08-12-2022	12-01-2023	145262	400	400	0
12	सुनील कुमार	02-12-2022	12-01-2023	145778	400	400	0
13	संदीप कुमार	22-02-2023	20-03-2023	145779	200	400	0
14	मनोज कुमार	15-02-2023	28-03-2023	145780	400	200	0
15	नवीन कुमार	12-05-2023	23-05-2023	145791	200	400	0
16	अमित शर्मा	10-05-2023	23-05-2023	145792	200	200	0
17	मनीष कुमार	11-06-2023	23-06-2023	145797	200	200	0
18	विनोद कुमार	31-05-2023	23-06-2023	145798	200	200	0
19	जगजीवन	27-07-2023	05-08-2023	145800	200	200	0
20	सागर ठाकुर	19-10-2023	25-10-2023	145340	200	200	0
21	शुभम शर्मा	20-10-2023	26-10-2023	145799	200	200	0
22	नितीश	01-11-2023	19-11-2023	145866	200	200	0
23	ललित कुमार	01-11-2-23	20-11-2023	145867	200	200	0
24	दिनेश संधू	23-11-2-23	06-12-2023	145868	200	200	0
25	रोहित कुमार	07-12-2023	20-12-2023	145869	200	200	0
26	रजत शाण्डिल	10-11-2023	31-0102024	145870	400	400	0
27	कुलभूषण कुमार	22-11-2023	31-01-2024	145871	400	400	0
28	रवि कुमार	13-12-2023	31-01-2024	145872	400	400	0
29	सतीश कुमार	02-02-2024	11-03-2024	145873	400	400	0
30	जसविंदर सिंह	14-02-2024	12-03-2024	145874	200	200	0
31	रवि कुमार	02-03-2024	15-03-2024	145879	200	200	0
32	अरुण कुमार	10-03-2024	20-03-2024	145896	200	200	0
				Total	8600	8400	200

पचायत सचिव
ग्राम पंचायत मैडी खास
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

28

परिशिष्ट क

पैरा संख्या ४.१ में सन्दर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	20-21 06/22	54, 55 dtd. 06.04.22, 02.06.22	Sanjay Book Store Amb	Stationery	4845
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	30 06/22	220 22.05.22	M/s Rakesh Kumar S/o Tilak Raj Mairi	ढुलाई	45765
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	31 06/22	221 23.05.22	M/s Rakesh Kumar S/o Tilak Raj Mairi	ढुलाई	21440
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	35 06/22	219 21.05.22	M/s Rakesh Kumar S/o Tilak Raj Mairi	ढुलाई	41110
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	45 06/22	1701 20.05.22	Kailashpati Trsders amb	Floor Tiles	25524
6	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	46 06/22	1702 20.05.22	Kailashpati Trsders amb	Floor Tiles	27025
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	50 06/22	103 15.06.22	M/s Shukla Electrical works Mairi	Electric fitting	6380
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	51 06/22	22 19.06.22	M/s Rakesh Kumar S/o Tilak Raj Mairi	ढुलाई	37625
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	52 06/22	223 20.06.22	M/s Rakesh Kumar S/o Tilak Raj Mairi	ढुलाई	10810
10	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	02/24	GSMR-4439 18.01.24, GSMR-4430 18.01.2024	SHre Ganesh Steel Mubsrikpur	Steel	73300
11	SBM (PFMS)	02/24	403 20.02.24	Vishal Bricks Supply VPO	bricks	25455

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मैड़ी खास
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

				Kuneran		
12	SBM (PFMS)	02/24	400 20.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25455
13	SBM (PFMS)	02/24	395 14.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25455
14	SBM (PFMS)	02/24	11 शून्य	Th. Karnail Singh VPO Mairi	ढुलाई	4184
15	SBM (PFMS)	02/24	007 शून्य	Th. Karnail Singh VPO Mairi	ढुलाई	17000
16	SBM (PFMS)	02/24	GSMR-4585 30.01.2024	SHre Ganesh Steel Mubsrikpur	Steel	13388
17	SBM (PFMS)	02/24	4783 15.02.24	M/s HSD Stone Crusher Chururu	Sand, Agg.	25680
18	SBM (PFMS)	02/24	5063 19.02.24	M/s HSD Stone Crusher Chururu	Sand	28200
19	SBM (PFMS)	02/24	382 30.01.24	M/s Himachal Brick Kiln Ambota	Bricks	14416
20	SBM (PFMS)	02/24	003 शून्य	Th. Karnail Singh VPO Mairi	ढुलाई	19200
21	SBM (PFMS)	02/24	004 शून्य	Th. Karnail Singh VPO Mairi	ढुलाई	25600
22	SBM (PFMS)	02/24	GSMR-4584 30.01.2024	SHre Ganesh Steel Mubsrikpur	Steel	48589
23	SBM (PFMS)	02/24	384 06.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25456
24	SBM (PFMS)	02/24	385 06.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25456
					योग	**617358/-**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मैड़ी जारा
विकास खण्ड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

30

परिशिष्ट 'ङ'

पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना :–

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	20-21 06/22	54, 55 dtd. 06.04.22, 02.06.22	Sanjay Book Store Amb	Stationery	4845
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	37 06/22	235 11.05.22	Maha Luxmi Enterprises Amb	Office Chairs, table etc	47015
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	45 06/22	1701 20.05.22	Kailashpati Trsders amb	Floor Tiles	25524
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	46 06/22	1702 20.05.22	Kailashpati Trsders amb	Floor Tiles	27025
5	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	02/24	GSMR-4439 18.01.24, GSMR-4430 18.01.2024	SHre Ganesh Steel Mubsrikpur	Steel	73300
6	SBM (PFMS)	02/24	403 20.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25455
7	SBM (PFMS)	02/24	400 20.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25455
8	SBM (PFMS)	02/24	395 14.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25455
9	SBM (PFMS)	02/24	197520 04.03.24	HP Civil Supply Amb	Cement	73928
10	SBM	02/24	GSMR-	SHre Ganesh	Steel	13388

31

	(PFMS)		4585 30.01.2024	Steel Mubsrikpur		
11	SBM (PFMS)	02/24	4783 15.02.24	M/s HSD Stone Crusher Chururu	Sand, Agg.	25680
12	SBM (PFMS)	02/24	5063 19.02.24	M/s HSD Stone Crusher Chururu	Sand	28200
13	SBM (PFMS)	02/24	382 30.01.24	M/s Himachal Brick Kiln Ambota	Bricks	14416
14	SBM (PFMS)	02/24	GSMR-4584 30.01.2024	SHre Ganesh Steel Mubsrikpur	Steel	48589
15	SBM (PFMS)	02/24	384 06.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25456
16	SBM (PFMS)	02/24	385 06.02.24	Vishal Bricks Supply VPO Kuneran	bricks	25456
					योग	**509187/-**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खंड अम्ब
जिला ऊना (हि० प्र०)

परिशिष्ट-च पैरा संख्या 8.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत मैडी खास, विकास खंड अम्ब जिला ऊना

क्रम संख्या	मद का नाम	कार्य का नाम	बिल संख्या	दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	कन्वर्जन फैक्टर	मात्रा (टनों में)	दर (प्रति टन)	देय रॉयलटी
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	खाता निर्माण रास्ता कबीर पंथी से लम्बडा	1020	02.05.2022	M/S H.S.D Stone Crusher	Sand	28.32	1.62	45.8784	80	3670.272
						Agg.	39.64	1.52	60.2528	80	4820.224
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	निर्माण रास्ता कुआँ से आबादी कबीर पंथी	1002	03.05.2022	M/S H.S.D Stone Crusher	Sand	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
						Agg.	21.24	1.52	32.2848	80	2582.784
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	खाता रेनोवेशन पंचायत घर	1011	05.05.2022	M/S H.S.D Stone Crusher	Sand	7.08	1.62	11.4696	80	917.568
						Agg.	2.83	1.52	4.3016	80	344.128
4	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	निर्माण रास्ता कबीर पंथी से शमशान घाट	1006	16.05.2022	M/S H.S.D Stone Crusher	Sand	16.99	1.62	27.5238	80	2201.904
						Agg.	19.82	1.52	30.1264	80	2410.112
5	स्वच्छ भारत मिशन	निर्माण 10 नंबर CSC नजदीक कानूनगों भवन	4783	15.02.2024	M/S H.S.D Stone Crusher	Sand	11.32	1.62	18.3384	80	1467.072
						Agg.	22.65	1.52	34.428	80	2754.24
6	स्वच्छ भारत मिशन	निर्माण 10 नंबर CSC नजदीक कानूनगों भवन	5063	19.02.2024	M/S H.S.D Stone Crusher	Sand	33.98	1.62	55.0476	80	4403.808
								योग	347.1752	80	27774.016
										25 % पेनल्टी	6943.504
										कुल योग	34717.52

33

परिशिष्ट छ   पैरा संख्या 8.5 में सन्दर्भित

दिनांक 01/04/2022 से 31/03/2023 दौरान M/S HSD stone crusher chururu को किय गये भुगतान का बिबरण

क्र संख्या	मद का नाम	फार्म का नाम	बिल संख्या	दिनाक	राशि (GST को छोड़कर
1	own & grant	M/S HSD Stone crusher	127	1.08.2021	3400.00
2	own & grant	M/S HSD Stone crusher	1020	2.5.2022	42900.00
3	own & grant	M/S HSD Stone crusher	1011	5.5.2022	6700.00
4	own & grant	M/S HSD Stone crusher	1006	16.5.2022	23400.00
5	own & grant	M/S HSD Stone crusher	1166	7.6.2022	25100.00
6	own & grant	M/S HSD Stone crusher	1618	1.6.2022	32100.00
7	own & grant	M/S HSD Stone crusher	1613	1.6.2022	5700.00
8	Mnrega	M/S HSD Stone crusher	1694	9.6.2022	13100.00
9	Mnrega	M/S HSD Stone crusher	5301	19.1.2022	7900.00
10	Mnrega	M/S HSD Stone crusher	5302	19.1.2022	7900.00
11	Mnrega	M/S HSD Stone crusher	5305	18.1.2022	12600.00
12	Mnrega	M/S HSD Stone crusher	5306	18.1.2022	9400.00
13	Mnrega	M/S HSD Stone crusher	2897	28.3.2022	10000.00
14	Mnrega	M/S HSD Stone crusher	4616	28.03.2022	25500.00
15	14th fc	M/S HSD Stone crusher	3431	26.7.2022	7300.00
16	14th fc	M/S HSD Stone crusher	1956	1.8.2022	5700.00
17	14th fc	M/S HSD Stone crusher	1951	1.08.2022	9000.00
18	14th fc	M/S HSD Stone crusher	3328	16.09.2022	19400.00
19	14th fc	M/S HSD Stone crusher	3694	1.9.2022	25000.00
				Total Amount	**292100.00**